SPICES BOARD
(Ministry of Commerce and Industry
Government of India)
Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाइपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र सं.16/2022-23 **06 अक्तूबर,2022**

विषय: चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियमनों से संबंधित सूचना - बाबत
संदर्भ : परिपत्र संख्या 13/2021 दिनांक 22 अक्तूबर , 2021

चीनी जनवादी गणराज्य द्वारा निर्धारित पंजीकरण विनियमनों के क्रम में, बेजिंग के भारत का राजदूतावास ने सूचित किया है कि चीन के सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) के खाद्य सुरक्षा ब्यूरो के पंजीकरण प्रभाग ने सूचना दी है कि, जीएसीसी विनियमन संख्या 248 के अनुसार, चीन को निर्यात करनेवाले उपक्रमों को लदान के पहले, विशेष खाद्य उत्पाद केलिए निर्धारित एचएस/सी आई क्यू कोड़ों हेतु जी ए सी सी पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है। तदनुसार, निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि आदेश की पुष्टि के दौरान आयातक से सही एचएस/सी आई क्यू कोड़ की पुष्टि करें।

न□ट: उदाहरण स्वरूप, मेथी केलिए एचएस और सी आई क्यू कोड़ क्रमश: 0910990000 एवं 115 हैं। जी ए सी सी के अनुसार, एच एस को□ 0910990000 ‘अन्य मसाला’ को दर्शाता है जिसमें अजवाइन बीज, सोआ पाउ□र, थाइम पत्ता आदि जैसे मसाले विभिन्न सी आई क्यू कोड़ के साथ शामिल हैं। अतः, यदि कोई फर्म चीन केलिए मेथी का निर्यात करने का इरादा रखता है, उसे सी आई क्यू कोड़ 115 के साथ एच एस को□ 0910990000 हेतु जी ए सी सी पंजीकरण केली आवेदन करना होगा।

इसके अलावा, जी ए सी सी पंजीकरण पूरा होने /उत्पाद विशेष के पंजीकरण केलिए अनुमोदन की पुष्टि तभी की जा सकती है जब जी ए सी सी पोर्टल में आवेदन की स्थिति “अनुमोदित” के रूप में परिलक्षित होता है। उत्पाद अनुमोदन/पंजीकरण के संबंध में जी ए सी सीसे कोई अलग से ईमेल सूचना नहीं मिलेगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि जीएसीसी ने अपनी एकल खिड़की प्रणाली को अद्यतन किया है ताकि विशेष एचएस / सीआईक्यू को□ के लिए अनुमोदन प्राप्त करने से पहले खाद्य उत्पादों को जीएसीसी की सीमा शुल्क घोषणा प्रणाली पर घोषित नहीं किया जा सके। सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे विशिष्ट एचएस को□ के लिए जीएसीसी पंजीकरण प्राप्त करने के बाद कम से कम दो कार्य दिवसों के अंतराल के बाद ही खेप भेज दें, ताकि रिकॉ□ के अद्यतन के लिए टर्नअराउं□ समय का हिसाब लगाया जा सके।

निदेशक (विपणन)

सेवा में
मसालों व मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

(फाईल सं.:विपणन-क्यूआर/0001/2020-विपणन - 18053 से जारी)